सबसे छोटी कक्षा की कुल सीटों की संख्या के संबंध में स्वघोषणा करने हेतु निर्देशित करेंगे। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से अधिनियम की धारा 2 (d) तथा 2(e) में वर्णित बच्चों के माता–पिता को 15 मई, 2011 तक अपने वार्ड के निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने हेतु सूचित करेंगे तथा यह भी उल्लेख करेंगे कि आवेदन पत्रों की एक–एक प्रति तथा सम्पूर्ण सूची संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(3) माह मई के अन्तिम सप्ताह तक प्रत्येक संबंधित विद्यालय समस्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रवेश हेतु लाटरी प्रक्रिया अपनायेगा जिसमें बच्चों के माता–पिता के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे।

(4) इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के आर0टी0ई0 सेल से समन्वय स्थापित करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा समस्त जनपदों को निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, देहरादून।
7. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
9. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।